दि राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि0, जयपुर

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना

- राज्य में त्रि–स्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख सरंचना विद्यमान है जो मुख्यतया मौसमी कृषि उत्पादन एवं सम्बद्ध गतिविधियों हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्यरत हैं। शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम स्तर पर लगभग 6472 पैक्स कार्यरत है। प्रतापगढ, राजसमंद, करौली व धौलपुर जिलों में वर्तमान में पृथक से केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत नही है तथा इन जिलों में क्रमशः चित्तौडगढ, उदयपुर, सवाईमाधोपुर व भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा सहकारी साख उपलब्ध करवाई जा रही है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कुल 444 शाखाऐं राज्य में कार्यरत है।

- दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक ''शीर्ष सहकारी बैंक'' की स्थापना 14 अक्टूबर, 1953 को हुई। बैंक की 5 क्षेत्रीय शाखाओं सहित कुल 16 शाखाऐं कार्यरत है। शीर्ष सहकारी बैंक एवं सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाईसेंस शुदा बैंक है।

- राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक इन सभी संस्थाओं की राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था है। राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक (शीर्ष बैंक) द्वारा सभी केन्द्रीय सहकारी बैको को उनके द्वारा वितरित ऋणों का पुनर्भरण उपलब्ध करवाया जाता है। शीर्ष बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण व उन्हें विभिन्न कार्यकलापों पर मार्ग दर्शन प्रदान किया जाता है।

प्रमुख गतिविधियाँ

1. अल्पकालीन ऋण वितरण :

- राज्य में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं द्वारा वर्ष 2006–07 से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को रूपये 3.00 लाख तक के अल्पकालीन फसली ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये जा रहे है।

- उक्त ऋण का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 से ब्याज सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। भारत सरकार द्वारा समय पर चुकारा करने वाले किसानों को वर्तमान में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा भी वर्ष 2012–13 से समय पर अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा करने पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है जिसकी अधिकतम ऋण सीमा रूपये 1.50 लाख है।
- वर्तमान में रूपये 1.50 लाख तक के अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा करने वाले किसान से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के स्थान पर शून्य प्रतिशत (भारत सरकार से 3 प्रतिशत ब्याज सहायता व राज्य सरकार से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त होने से) ब्याज दर एवं रूपये 1.50 लाख से अधिक किन्तु रूपये 3.00 लाख तक के अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा करने वाले किसान से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर (भारत सरकार से 3 प्रतिशत ब्याज सहायता प्राप्त होने से) ली जा रही है।

गत 5 वित्तीय वर्षों में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की प्रगति :

वर्ष	अल्पकालीन ऋण	
	लाभान्वित कृषक	राशि करोडों में
2014–15	2921626	16017.36
2015–16	2602586	15441.85
2016–17	2332335	13540.46
2017–18	2327256	14166.05
2018–19	1641440 (12.9.2018 तक)	8098.39 (12.9.2018 तक)

2. मध्यकालीन ऋण वितरण :

(अ) मध्यकालीन सहकारी कृषि निवेश ऋण वितरण

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि निवेश के विभिन्न प्रयोजनों यथा– ट्रैक्टर, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी विकास योजनान्तर्गत, लघु सिंचाई के विभिन्न उद्देश्यों, ग्रामीण गोदाम, वर्मी कम्पोस्ट, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना,

इत्यादि प्रयोजनों हेतु मध्यकालीन सहकारी कृषि निवेश ऋण तिरण किया जा रहा है।

विगत पांच वित्तीय वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है–

(राशि करोडों में)

वर्ष	**कृषि निवेश ऋण**
2014–15	308.70
2015–16	394.94
2016–17	432.58
2017–18	460.66
2018–19	196.80 (जुलाई, 2018)

(ब) मध्यकालीन अकृषि निवेश ऋण वितरण :

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अकृषि निवेश के विभिन्न प्रयोजनों यथा– उद्यम ऋण, लघु भार वाहन ऋण, आवास ऋण, अक्षय सौर ऊर्जा तथा अन्य प्रयोजनों हेतु गत पांच वित्तीय वर्षों में निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है :–

(राशि करोडों में)

वर्ष	**अकृषि निवेश ऋण**
2014–15	67.10
2015–16	72.52
2016–17	89.30
2017–18	46.47
2018–19	12.95 (जुलाई, 2018)

3. वित्तीय स्थिति :

लाभ एवं अमानते : शीर्ष बैंक / केन्द्रीय सहकारी बैंक :

गत 4 वर्षो का लाभ एवं अमानतों की स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि करोडों में)

वर्ष	शीर्ष सहकारी बैंक		केन्द्रीय सहकारी बैंक	
	लाभ	अमानते	लाभ	अमानते
2014–15	26.32	5521.13	14.24	9799.90
2015–16	21.94	4166.75	21.17	10167.09
2016–17	41.80	4176.83	17.57	11424.62
2017–18	25.63	2834.65	49.89	11650.64

4. वसूली : (केन्द्रीय सहकारी बैंक)

वर्ष (जुलाई–जून)	अल्पकालीन कृषि वसूली प्रतिशत	मध्यकालीन कृषि वसूली प्रतिशत	मध्यकालीन अकृषि वसूली प्रतिशत
2013–14	90.73	73.30	61.76
2014–15	90.69	74.96	63.57
2015–16	83.52	70.25	55.45
2016–17	82.31	66.44	54.30
2017–18	66.68	62.01	48.60

5. सीआरएआर की स्थिति :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीर्ष सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु सीआरएआर का 31 मार्च, 2015 को न्यूनतम वांछित स्तर 7 प्रतिशत निर्धारित करते हुए इसे आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से दिनांक 31 मार्च, 2017 को न्यूनतम 9 प्रतिशत एवं आगामी वर्षों में उक्त स्तर में वृद्धि अपेक्षित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की पालना में सीआरएआर के निर्धारित स्तर को बनाये रखना अनिवार्य है, इसमें चूक करने पर दण्डात्मक कार्यवाही के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंक का बैंकिंग लाईसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

शीर्ष सहकारी बैंक की 31.03.2015 को अंकेक्षित सीआरएआर 8.16 प्रतिशत, दिनांक 31.03.2016 को 9.56 प्रतिशत, दिनांक 31.03.2017 को 10.09 प्रतिशत एवं दिनांक 31.03.2018 को सीआरएआर 11.64 प्रतिशत रही है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 31.3.2018 को सभी बैंकों की सीआरएआर न्यूनतम निर्धारित स्तर 9 प्रतिशत से अधिक है।

6. मुख्य घोषणाऐं/योजनाऐं :

- राज्य में सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को वर्ष 2012–13 से 7 प्रतिशत के स्थान पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर (भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत) फसली ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2017–18 के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लिये रूपये 370.00 करोड़ की ब्याज अनुदान की राशि जारी की गई। इसके साथ ही सहकारी बैंकों को Compensatory Interest के रूप में रूपये 150.00 करोड की राशि भी उपलब्ध करवाई गई।
- कृषि व सहायक गतिविधियों में ऋण वितरण बढाने हेतु नई '**सहकार किसान कल्याण योजना**' लागू की गई जिसमें 11 प्रतिशत ब्याज पर 10 लाख रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में रूपये 279.53 करोड के ऋण वितरित। वर्ष 2018–19 में जुलाई, 2018 तक 66.02 करोड के ऋण वितरित।
- वर्ष 2018–19 में ऋणी कृषकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (सुरक्षा कवर रूपये 10.00 लाख) लागू की गई।
- दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक द्वारा कम्प्यूट्रीकरण अन्तर्गत सभी 16 शाखाऐं (5 क्षेत्रीय शाखाओं सहित) सीबीएस पर गत 5 वर्ष से परिचालित की जा रही है। आरटीजीएस व नेफ्ट की सुविधाऐं प्रारम्भ की जा चुकी है तथा 12 शाखाओं में एटीएम स्थापित किये जा चुके है।
- पैक्स/लैम्पस/ई मित्र केन्द्रों को सीसीबी का बीसी बनाकर एफआईजी के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं को लाभार्थी के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तानान्तरण किया जा रहा है।

7. पैक्स कम्प्यूटराईजेशन कार्ययोजना

- केन्द्र सरकार की बजट घोषणा 1 फरवरी 2017 के अनुसार 63000 क्रियाशील पैक्स का आगामी 3 वर्षों में कम्प्यूटराईजेशन का कार्य किया जावेगा। एक पैक्स पर कुल व्यय रूपये 3.00 लाख पैक्स कम्प्यूटराइजेशन हेतु प्रस्तावित है जिसमें से 60 प्रतिशत भारत सरकार, 35 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 5 प्रतिशत पैक्स द्वारा वहन किया जाना है।

- राजस्थान राज्य में तत्समय 6365 क्रियाशील पैक्स कार्यरत थी, जिनके पेटे कुल व्यय 190.95 करोड़ होना अनुमानित है। इसके पेटे भारत सरकार को 114.57 करोड़ रूपये

की राशि राज्य सरकार को 66.83 करोड एवं पैक्स को 9.55 करोड़ की राशि वहन की जानी है।

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 के बजट में कुल रूपये 22.28 करोड़ की राशि की घोषणा की गयी है जो कुल 2121 पैक्स के लिये बनती है।

8. राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018

- राज्य के किसानों को कर्ज भार से उन्मुक्ति प्रदान करने, उनकी अवधिपार प्रास्थिति को समाप्त कर उन्हें नवीन ऋण प्राप्ति की पात्रता हासिल कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2018–19 में राज्य के सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के व्यापक हित में ऋण माफी योजना की घोषणा की गई।

- घोषणान्तर्गत सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के संदर्भ में निम्नानुसार ऋण माफी प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया–

  - ❖ लघु व सीमान्त कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को बकाया (अवधिपार की स्थिति में) समस्त ब्याज व शास्तियां माफ की जावेगीं।
  - ❖ लघु और सीमांत कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को बकाया अल्पकालीन सहकारी ऋण के विरूद्ध अधिकतम रूपये 50,000/– तक के ऋण माफ (waive) किये जायेगें।
  - ❖ अन्य कृषकों की ओर 30 सितम्बर 2017 को बकाया (अवधिपार/अनावधिपार) कुल राशि में से लघु कृषक की भूमि जोत सीमा के अनुपात में अधिकतम रूपये 50,000/– माफ किये जायेगें।

- प्राथमिक आंकलन अनुसार राज्य में 29.21 किसानों के रूपये 8400 करोड़ माफ किये जाने हैं। दिनांक 14.09.2018 तक Loan Waiver Portal पर 26.65 लाख किसानों के 7561.00 करोड़ रूपये की ऋण माफी दर्ज हो चुकी है।